22.2.21 पत्रावली पेश। आवाज लगाये गये कोई उपस्थित नहीं। आवाज पुनः लगाये कोई उपस्थित नहीं।

अतः वादी order 9 Rule 3 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी